संख्या-21/2018/479/46-1-18-1512/2002

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.
लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक **2** अप्रैल, 2018

विषयः-पेराई सत्र 2017-18 की खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेराई सत्र 2017-18 की खाण्डसारी लाइसेंसिंग नीति विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/1265/46-1-2017-1512/2002, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेराई सत्र 2017-18 की खाण्डसारी नीति के प्रस्तर-1(क) को संशोधित करते हुये संस्थापित चीनी मिल से 15 कि.मी. अर्द्धव्यास के स्थान पर 08 कि.मी. अर्द्धव्यास के बाहर नया लाइसेंस प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाती है।

2- उक्त के फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 25-10-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है